# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास


पत्रांक 03 दिनांक 31-1-2019

सेवा में,

**अपर मुख्य सचिव,**
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **श्री योगेन्द्र राम(बि0प्र0से0) सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना पर श्री संजीव कुमार सिन्हा (भा0प्र0से0) अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 28.01.2019 को कर्मचारी चयन आयोग के बिहार प्रशासनिक सेवा इकाई के साथ–साथ अन्य कर्मियों के द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय (प्रति संलग्न) के आलोक में संघ भवदीय का निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है :–

(1) उक्त घटना के विरोध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी दिनांक–29.01.2019 से 01.02.2019 तक काला बिल्ला लगायेंगे।

(2) अगर अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिव के आवेदन पर सम्यक विचारोपरांत उचित कार्रवाई दिनांक–01.02.2019 तक नहीं की गई तो उसी दिन 01.02.2019 को संध्या 6:15 बजे आगे की कार्रवाई हेतु बैठक कर कड़ा निर्णय लिया जायेगा।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ उपरोक्त घटना की घोर निन्दा करता है तथा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय का समर्थन करता है। संघ चाहता है कि श्री संजीव कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सरकार के बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सरकारी कार्य ही अपने अधीनस्थ से करायें तथा सरकारी कार्य में उनके

धर्मपत्नी के हस्तक्षेप करने से रोका जाय। अन्यथा बाध्य होकर संघ आन्दोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त।**

**(खुर्शीद अनवर सिद्धीकी)**
**महासचिव**

**(सुशील कुमार)**
**अध्यक्ष**

**प्रतिलिपि** :–श्री योगेन्द्र राम, सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्र दिनांक–28.01.2019 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

**(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)**
**महासचिव**

**प्रतिलिपि** :–सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)**
**महासचिव**

**दिनांक–28.01.2019 को आयोग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के साथ बैठक की कार्यवाही**

आज दिनांक–28.01.2019 को संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अध्यक्षता में अशासकीय व्यक्ति (श्री संजीव कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की पत्नी) द्वारा श्री योगेन्द्र राम, सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के साथ किये गए दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में आयोग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के साथ की गई बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति संलग्न।**

दिनांक–26.01.2019 दिन शनिवार, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोग में ध्वजारोहन के पश्चात् वितरित होनेवाले पैकेट के सम्बन्ध में सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा बताया गया कि 11:00 बजे पूर्वाहन में अध्यक्ष के पत्नि द्वारा सचिव को दूरभाष पर सारे पदाधिकारी के समक्ष डाँटा। पुनः अपराह्न 2:37 में अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की पत्नि द्वारा सचिव के मोबाईल पर सचिव को बर्वाद करने की धमकी दी गई, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया।

आये दिन आयोग के कर्मचारियों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएँ घट रही है। आयोग के कर्मचारी एवं सचिव के साथ हुए इस दुर्व्यवहार से आयोग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी व्यथित एवं मर्माहत हैं। एक अशासकीय व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यालय में अवैधानिक एवं अनावश्यक हस्तक्षेप को आयोग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी घोर भर्त्सना करते है। यह मामला अशासकीय व्यक्ति द्वारा अनुचित लाभ लेने के लिए पद के दुरूपयोग से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में कार्यालय की मर्यादा एवं कार्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने–आपको असुरक्षित एवं असहज महसूस कर रहे हैं। सचिव द्वारा बताया गया कि घटना के सम्बन्ध में एक आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अध्यक्ष के साथ--साथ वरीय पदाधिकारी एवं संघ को भी दी जा रही है।

संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अध्यक्षता में विचारोपरांत निम्नलिखित रूप से चरणबद्ध आंदोलन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. उक्त घटना के विरोध में सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी दिनांक–29.01.2019 से 01.02.2019 तक काला बिल्ला लगायेंगे।
2. अगर अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिव के आवेदन पर ~~सम्यक विचारोपरांत~~ उचित कार्रवाई दिनांक–01.02.2019 तक नहीं की गई तो उसी दिन 01.02.2019 को संध्या 6:15 बजे आगे की कार्रवाई हेतु बैठक कर कड़ा निर्णय लिया जायेगा।

   सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बैठक की कार्यवाही से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के केन्द्रीय कमिटी एवं बिहार सचिवालय सेवा संघ, बिहार राज्य डाटा इण्ट्री ऑपरेटर सेवा संघ को इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। साथ ही साथ राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी यथा मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग, बिहार को भी देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, ताकि इन्साफ मिल सके एवं घटना की पुनरावृति न हो एवं प्रशासन की सूचिता बनी रहे।

संयुक्त सचिव–सह–अध्यक्ष
आयोग के पदा0 / कर्मचारी संघ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 222/अ० /
पटना, दिनांकः– 28.1.2019 /

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव–सह–अध्यक्ष
आयोग के पदा0 / कर्मचारी संघ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 222/अ० /
पटना, दिनांकः– 28.1.2019 /

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव–सह–अध्यक्ष
आयोग के पदा0 / कर्मचारी संघ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 222/अ० /
पटना, दिनांकः– 29.1.2019 /

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव–सह–अध्यक्ष
आयोग के पदा0 / कर्मचारी संघ, बिहार, पटना।

आज दिनांक–28.01.2019 को अब्दुल वहाब अंसारी, संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्षता में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पदाधिकारी एवं कर्मचारी की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

| क्र0सं0 | पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम | पदनाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 01 | श्री योगेन्द्र राम | सचिव | |
| 02 | अब्दुल वहाब अंसारी | संयुक्त सचिव | |
| 03 | श्री अभय कुमार सिंह | उप सचिव | |
| 04 | श्री मनोज कुमार | विशेष कार्य पदाधिकारी | |
| 05 | श्री सुनिल कुमार वर्मा | प्रशाखा पदाधिकारी | |
| 06 | श्री रविन्द्र कुमार सिंह | प्रशाखा पदाधिकारी | अवकाश में |
| 07 | मो0 अकिल हैदर | प्रशाखा पदाधिकारी | |
| 08 | श्री कुँवर खरवार | प्रशाखा पदाधिकारी | |
| 09 | श्री शिवरत्न | प्रशाखा पदाधिकारी | |
| 10 | श्री संजय कुमार मोसेस | विधि सलाहकार | |
| 11 | श्री चन्दन कुमार | आई0टी0मैनेजर | अवकाश में |
| 12 | श्री अभिषेक श्रीवास्तव | आई0टी0मैनेजर | |
| 13 | श्री प्रभात कुमार | आप्त सचिव | — |
| 14 | श्री भोगेन्द्र झा | सहायक | |
| 15 | ~~श्री अजित कुमार झा~~ | ~~सहायक~~ | — |
| 16 | श्री श्याम नारायण यादव | सहायक | |
| 17 | श्री श्याम लाल राम | सहायक | |
| 18 | श्री विभूति भूषण | सहायक | |
| 19 | श्री रोहित कुमार | सहायक | |
| 20 | श्री पंकज कुमार | सहायक | अवकाश में |
| 21 | श्री प्रतिभाष झा | सहायक | — |
| 22 | श्री प्रभात कुमार सिंह | सहायक | प्रभात |
| 23 | श्री अरूण कुमार झा | लेखापाल | |
| 24 | श्री रतन प्रसाद | कार्यलय परिचारी–सह–चालक | |
| 25 | श्री विश्वनाथ प्रसाद | कार्यलय परिचारी | — |
| 26 | श्रीमति नन्दा कुमारी | कार्यलय परिचारी | |
| 27 | श्री अनिल कुमार सिंह | कार्यलय परिचारी | — |
| 28 | श्री कपिल देव ठाकुर | कार्यलय परिचारी | अवकाश में |
| 29 | श्री चन्दन कुमार | कार्यालय परिचारी–सह–ट्रेजरी सरकार | Chandan Kumar |
| 30 | श्री हरेकृष्ण श्रीवास्तव | सेवानिवृत सहायक | हरेकृष्ण |
| 31 | श्री अशोक कुमार | सेवानिवृत सहायक | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | श्री शुभ नारायण झा | सेवानिवृत सहायक | [illegible] |
| 33 | श्री राम विनय प्रसाद राय | सेवानिवृत सहायक | [illegible] |
| 34 | श्री सियावरण द्विवेदी | सेवानिवृत सहायक | सियावर |
| 35 | मो0 अशफाक आलम | सेवानिवृत सहायक | आलम |
| 36 | श्री नसीब लाल | सेवानिवृत सहायक | नसीबलाल |
| 37 | श्री संजय कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 38 | श्री सुधीर कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 39 | श्री धीरेन्द्र कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 40 | श्री रविन्द्र कुमार--01 | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 41 | श्री रविन्द्र कुमार--02 | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 42 | श्री जितेन्द्र कुमार सिंह | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | — |
| 43 | श्री शंकर कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | — |
| 44 | श्री देवेन्द्र कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 45 | श्री अमृश कुमार श्रीवास्तव | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | |
| 46 | श्री श्रवण कुमार मिश्रा | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| ~~47~~ | ~~श्री परमजीत कुमार सिंह~~ | ~~डाटा इन्ट्री ऑपरेटर~~ | |
| 48 | श्रीमति खुशबु कुमारी | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | Khushboo Kumari |
| 49 | श्री संजीत कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | Sanjeet Kr |
| 50 | श्री राजू रंजन | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | |
| ~~51~~ | ~~श्री अभय कुमार~~ | ~~डाटा इन्ट्री ऑपरेटर~~ | |
| 52 | श्री नरेश कुमार ओझा | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 53 | श्री विनय कुमार शर्मा | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | Viny |
| 54 | श्री राज कुमार | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 55 | श्री अजय कुमार अमर | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | [illegible] |
| 56 | दीनदयाल राम | नव सहायक | [illegible] |
| 57 | विवेक कुमार | सहायक | Vivek |
| 58 | राजेश कुमार बैठा | सहायक | [illegible] |
| 59 | रोहित कुमार | सहायक | [illegible] |
| 60 | अशोक कुमार | सहायक | [illegible] |
| 61 | मो0 कासिम अली | सेवानिवृत सहायक | [illegible] |
| 62 | प्रिया भारती | D.E.O | Priya Bharti |
| 63 | अनिता चौधरी | D.E.O. | Anita Choudhary |
| 62 | विनीता प्रसाद | डाटा इंट्री ऑपरेटर | Vinita Prasad |
| 63 | नीतु चौबे | D.E.O | Neetu Chobey |
| 64 | अखिल कुमार | चालक | अखिल कुमार |

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0–भेटनरी कॉलेज, पटना–14

प्रेषकः–

योगेन्द्र राम
सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार सिन्हा
अध्यक्ष
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

विषयः– आपकी धर्मपत्नी श्रीमति सिन्हा द्वारा लगातार सरकारी कार्यों में दखल, कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करना, जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपमानित करना एवं बर्वाद कर देने की धमकी के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि आपके अध्यक्ष के पद पर पदस्थापन के कुछ महीनों के बाद से लेखा शाखा द्वारा शिकायत किया गया कि बिना नियम का गोपनीय कार्यालय के नाम पर जबरन सामान की आपूर्त्ति उनके आवास पर करना पड़ता है, लेकिन कार्यालय कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचिकाओं में बार–बार आपत्ति किया जाता हैं।

- अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होता है। किसी भी बिन्दु पर जल्दी निर्णय नहीं हो पाता है।
- मैं लगभग डेढ़ वर्षों से अपने आपको असहज महसूस करने लगा हूँ। सचिव के दायित्यों का ईमानदारी, सत्य, निष्ठा के साथ निर्वहन के वावजूद जो सम्मान मिलना चाहिँए वह कभी नहीं मिला।
- सभी कर्मियों/पदाधिकारियों को आपके धर्मपत्नी एवं आपसे जो कटु अनुभव होता रहा, उसका समाधान करने की अपेक्षा सचिव की हैसियत से मुझसे की जाती है। ताकि न्याय एवं इंसाफ दिला सके।
- आपके आदेश के कारण आयोग कार्यालय में कार्यरत Programmer को वापस करना पड़ा।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक श्री लव कुमार की सेवा गोपनीय कार्यालय के नाम पर आपकी धर्मपत्नी की सेवा में था। उनके साथ आपकी धर्मपत्नी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के कारण अंततोगत्वा चालक की सेवा को वापस करना पड़ा, और उल्टे चालक के विरूद्ध भवदीय आदेश के आलोक में कार्रवाई हेतु लिखना पड़ा।
- श्री दिनेश कुमार, अध्यक्ष के निजी सचिव जो शुरू से निष्ठापूर्वक कार्य करते रहे, वे भी आपकी धर्मपत्नी से तंग आकर पद से Resign कर दिये।
- श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी को आपके द्वारा मेरे विरूद्ध लिखने के लिए बाध्य किया गया, उनके नहीं लिखने के कारण आपकी धर्मपत्नी ने श्री कुमार को जलील किया एवं आपने भी जलील किया।
- श्री अनिल कुमार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा-प्रतिनियुक्त चालक को भी आपकी धर्मपत्नी की सेवा में गोपनीय कार्यालय के कार्य के नाम पर लगाया गया। उनके साथ भी आपकी धर्मपत्नी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के कारण गोपनीय कार्यालय से हटाने एवं कार्यालय में कार्य कराने एवं सेवा वापसी हेतु अनुरोध किया गया। आपकी धर्मपत्नी की बात नहीं मानने पर एक अल्पवेतनभोगी का वेतन आपके आदेश से तीन माह से नहीं मिल रहा है, उल्टे चालक के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।
- अद्योहस्ताक्षरी को प्रायः सभी कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है, ताकि सचिव सभी कर्मी/पदाधिकारी से उलझे रहे।
- कम मजदूरों की जगह अधिक मजदूरों का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भुगतान पर आपत्ति करने के बावजूद गलत भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है।
- विषम परिस्थिति में वेपटरी पर चली गई आयोग को कड़ी मिहनत, इर्मानदारी एवं निष्ठापूर्वक कार्य किये जाने के बावजूद पटरी पर सभी के सहयोग से लाया गया। विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करना, Typical Exam को Conduct कराना अपने–आप में Herculean Task है। बावजूद 06 माह पूर्व अद्योहस्ताक्षरी द्वारा PAR सौंपने के बावजूद अभी तक PAR नहीं लिखा जाना, मेरे प्रति बरती गई भेदभाव परिलक्षित होता है।
- दिनांक–26.01.2019 को झंडोतोलन के पूर्व आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी साथ आयी। आपसबों को सम्मानपूर्वक आपके कक्ष में लाया गया।

- झंडोतोलन समाप्ति के उपरांत आपके साथ माननीय सदस्य एवं पदाधिकारी भी बैठे थे। आपसबों के नारंगी, संतारा, केला, बेदाना, जिलेबी, बुनिया एवं सेवई दिया गया। बाद में कॉफी भी दी गई।
- आयोग कार्यालय से जाने के बाद 10:59 में **आपके द्वारा मेरे दुरभाष पर पैकेट के सम्बन्ध में मैडम से** बात करने को कहा गया। आपकी धर्मपत्नी ने डाँटकर आदेश दिया कि '' **मिस्टर राम क्या आपने पैकेट देखा है ? पैकेट देने से पहले क्यों नहीं आपने जाँचा ?** मैंने मैडम से अनुरोध किया कि जो शिकायत है, यह कार्य लेखा शाखा का है। आपकी शिकायत के सम्बन्ध में लेखा शाखा से तहकीकात करते हैं।
- माननीय सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी (लेखा शाखा) सहित की उपस्थिति में लेखा शाखा के कर्मी को बुलाकर मैडम द्वारा दिये गये निर्देश से लेखा शाखा को अवगत कराते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, सचेष्ट किया गया। यदि संभव हो तो अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
- भवदीय को अगर किसी बात का कष्ट था, तो मुझे या लेखा पदाधिकारी को बुलाकर निर्देश देना चाहिए न कि पत्नि से डँटवाना चाहिए।
- दिनांक–26.01.2019 को 02:37 अपराहन में दूरभाष संख्या–9431612354 से पुनः फोन किया गया **''कि मैं Mrs. Sanjeev Sinha बोल रही हूँ।''** काफी गुस्से में डाँटने लगी। जैसे एक मालिक अपने नौकर को डाँटता है कि मिस्टर राम आपको Compliance करने का आदेश दी थी, आपने Compliance क्यों नहीं किया ? आपको पैकेट के सम्बन्ध में निर्देश दी थी। तो मैंने कहा कि यह सचिव का कार्य नहीं है, मैंने लेखा शाखा को निर्देश दिया है। इसी पर आग बबूला हो गई एवं गाली–गलौज करने लगी। '' क्या आपके बाप का ऑफिस है ? तुम्हें देख लुँगी। तुमको बर्वाद करके छोड़ूँगी। तुम्हारे जैसे कितने अदना पदाधिकारी/कर्मी को बर्वाद किया। तुमको बर्वाद करने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी।''

इस प्रकार आपके धर्मपत्नी द्वारा मुझे धमकी देना, अछूत जात समझकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, बर्वाद करने की धमकी देने से मैं अपने–आपको असहज, असुरक्षित, भयभीत महसूस कर रहा हूँ। कृपया अपने स्तर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाय, ताकि मैं निर्भय होकर अपने पद का सुचारुढंग से निष्पादन कर सकूँ। साथ ही आत्मरक्षार्थ इसकी सूचना वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ–साथ संघ को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(योगेन्द्र राम)
सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

ज्ञापांकः–............................../
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांकः–............................../

ह0/–
(योगेन्द्र राम)
सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

ज्ञापांकः–......01/210....../
प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/महासचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांकः–......28/01/19....../

(योगेन्द्र राम) 28/01/19
सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।